

निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 158/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेसन)
आवास फाईनेशियल लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेस लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 प्लोर साउथ
एण्ड स्ववायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती संध्या देवी उर्फ मुकेश देवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह तंवर,
पता: वार्ड नं. 19, शिव कॉलोनी, तहसील शाहपुरा, जयपुर
एवं प्लॉट नं. 735, खसरा संख्या 4412, शिव कॉलोनी, देवन रोड, शाहपुरा, जयपुर।
2. श्री रविन्द्र सिंह तंवर पुत्र श्री रघुवीर सिंह,
पता - देवन रोड, घुद दौड़ महल, वार्ड नं. 19, शिव कॉलोनी, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
3. श्री सोहन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह,
पता - वार्ड नं. 17, नावा की ढाणी, दौल्यावाला बीडरा, शाहपुरा, जयपुर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

स्थित:- श्री नरपत सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 20.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुर्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती संध्या देवी उर्फ मुकेश देवी के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा नं. 735, खसरा संख्या 4412, शिव कॉलोनी, देवन रोड, शाहपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 151.66 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 07.02.2019 को राशि 06,00,000/- रुपये, दिनांक 29.11.2019 को राशि 04,30,000/- रुपये, कुल राशि 10,30,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास अधिक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

पुन
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)




2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का मलीगाना अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 10,30,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिगूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 11,64,554/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.06.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती संध्या देवी उर्फ मुकेश देवी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 735, खसरा संख्या 4412, शिव कॉलोनी, देवन रोड़, शाहपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 151.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)
बिस्वा मधिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)